**न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,डिण्डौरी जिला डिण्डौरी(म0प्र0)**
**(समक्षः मोहसिना खान)**

# // निर्णय //

**आज दिनांक 06.05.2024 को घोषित)**

**Registration No. 1032/2022**
**Filing No. RCT/2960/2022**
**CNR No- MP5201-003447-2022**
**Filing Date 12-10-2022**

---

**पुलिस थाना गाड़ासरई के अपराध कमांक 338/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34, 452 भारतीय दण्ड संहिता 1860 से उद्भूत प्रकरण**

---

| | |
|---|---|
| अभियोजन | मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गाड़ासरई, जिला—डिण्डौरी (मध्य प्रदेश) |
| अभियोजन द्वारा | ए.डी.पी.ओ. |

**विरूद्ध**

| | |
|---|---|
| अभियुक्तगण | 01. रामूलाल चौहान पिता भगतराम चौहान, उम्र 31 वर्ष,<br>02. महर सिंह उर्फ पुट्टू पट्टा पिता हीरासिंह पट्टा, उम्र 32 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम गुरूमगांव, थाना गाड़ासरई, जिला डिण्डौरी म.प्र.।<br>03. शोभाराम यादव पिता कुवोरलाल यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम बरगीटोला, थाना राजेन्द्रग्राम, जिला अनूपपुर, हाल चालक चित्रा बस सर्विस गुरूमगांव, जिला डिण्डौरी म.प्र.। |
| अभियुक्तगण द्वारा | श्री अरविंद तिवारी अधिवक्ता। |

| | |
|---|---|
| अपराध की तारीख | 13.09.2022 |
| प्र.सू.रि. की तारीख | 14.09.2022 |

| | |
|---|---|
| अभियोग पत्र की तारीख | 12.10.2022 |
| आरोपों के विरचना की तारीख | 09.01.2024 |
| साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख | 21.02.2024 |
| निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख | 06.05.2024 |
| निर्णय की तारीख | 06.05.2024 |
| दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख | निरंक |

**अभियुक्त का विवरण**

| अभियुक्त की श्रेणी | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी की तारीख /धारा 41 क द.प्र.स का नोटिस | जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख | अपराध जिनका आरोप है | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि | अधिरोपित दंडादेश | धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | रामूलाल चौहान | धारा 41क द.प्र.सं. का नोटिस | निरंक | राजीनामा उपरांत धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता | **दोषमुक्त** | निरंक | निरंक |
| 02 | महर सिंह उर्फ पुट्टू पट्टा | धारा 41क द.प्र.सं. का नोटिस | निरंक | राजीनामा उपरांत धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता | **दोषमुक्त** | निरंक | निरंक |
| 03 | शोभाराम यादव | धारा 41क द.प्र.सं. का नोटिस | निरंक | राजीनामा उपरांत धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता | **दोषमुक्त** | निरंक | निरंक |

**अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची**
**क. अभियोजनः–**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| अ.सा.–01 | प्रेमलाल | फरियादी/आहत |
| अ.सा.–02 | लखनलाल | आहत |

**प्रतिरक्षा यदि कोई हो तोः–**

| **श्रेणी** | **नाम** | **साक्ष्य की प्रकृति** |
|---|---|---|
| निरंक | निरंक | निरंक |

**<u>न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो तोः–</u>**

| **श्रेणी** | **नाम** | **साक्ष्य की प्रकृति** |
|---|---|---|
| निरंक | निरंक | निरंक |

**अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची**
**क. अभियोजन**

| **स. क.** | **प्रदर्श संख्या** | **विवरण** |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी 01, अ.सा.–01 | प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| 2 | प्रदर्श पी 02, अ.सा.–01 | नक्शा मौका |
| 3 | प्रदर्श पी 03, अ.सा.–01 | साक्षी प्रेमलाल का पुलिस कथन |
| 4 | प्रदर्श पी 04, अ.सा.–02 | साक्षी लखनलाल का पुलिस कथन |

**ख. प्रतिरक्षा**

| **स.क.** | **प्रदर्श संख्या** | **विवरण** |
|---|---|---|
| निरंक | निरंक | निरंक |

**ग. न्यायालयीन प्रदर्शः–**

| **स.क.** | **प्रदर्श संख्या** | **विवरण** |
|---|---|---|
| निरंक | निरंक | निरंक |

**घ. भौतिक वस्तुएंः–**

| **स.क.** | **भौतिक सामग्री संख्या** | **विवरण** |
|---|---|---|
| निरंक | निरंक | निरंक |

**01.** अभियुक्तगण के विरूद्ध राजीनामा उपरांत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 13.09.2022 को समय करीब 17:00 बजे से 17:30 बजे के बीच अवरोध कारित करने अथवा उपहति, हमले, सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी कर फरियादी के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।

**02**– प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फरियादी/आहत प्रेमलाल एवं लखनलाल का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323 (02बार) एवं धारा 506 भाग–02 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जा चुका है।

**03**– अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रेमलाल ने दिनांक 14.09.2022 को उपस्थित होकर जुवानी रिपोर्ट की कि दिनांक 13.09.2022 को शाम 05:00 बजे करीब उसका लड़का लखन जोगी ड्रायवर रामूलाल चौहान से काम के पैसा मांगने बस स्टेण्ड गया था, उसी समय उसे हल्ला गुहार की आवाज सुनाई दी तो उसने बाहर निकलकर देखा तो बस ड्रायवर रामूलाल चौहान और हेल्पर पुट्टू पट्टा दोनों उसके लड़के लखन के साथ मारपीट कर रहे थे, तब फरियादी वहां लखन जोगी को बचाने गया तो उसे रामूलाल चौहान और हेल्पर पुट्टू पट्टा मादरचोद तेरा बहेरा लड़का हमसे पैसा क्यों मांग रहा कहकर उसे पकड़कर हाथ झापड़ से मारपीट करने लगे, तभी बस का कंडेक्टर शोभाराम यादव आया और तीनों मिलकर उसके लड़के लखन जोगी को हाथ मुक्का से तथा जमीन में घसीट–घसीट कर मारपीट करने

लगे, तब गांव के वीरेन्द्र मरावी एवं नान्हू पड़वार ने बीच–बचाव किया, वहां से जाते समय तीनों बोल रहे थे, दोबारा हमसे पैसा मांगे तो जान से खत्म कर देंगे। मारपीट से उसे दोनों गाल पर दर्द हो रहा है तथा लखन को दोनों हाथ में, दोनों पैर के घुटने में छिलनदार चोट है एवं शरीर दर्द है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी द्वारा अपराध क्रमांक 338/2022 अंतर्गत धारा– 294, 323, 506, 34, 452 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगण को उपस्थिति बाबत् धारा 41क द.प्र.सं. का नोटिस दिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में दिनांक 12.10.2022 को प्रस्तुत किया।

**04**– अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 294, 323 (02 शीर्ष) एवं 506 भाग–02 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप पत्र तैयार कर आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने अपराध करने से इंकार किया एवं विचारण चाहा। फरियादी के कथनों में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विपरीत कथन न आने से अभियुक्तगण का धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

**05– प्रकरण के निराकरण के लिये राजीनामा उपरांत निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं:–**

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.09.2022 को समय करीब 17:00 बजे से 17:30 बजे के बीच अवरोध कारित करने अथवा उपहति, हमले, सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी कर फरियादी के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया?

## सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष

**06**– फरियादी प्रेमलाल अ.सा.01 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक को उसकी आरोपीगण से कहा सुनी हो गयी थी, जिसके संबंध में उसने थाना गाड़ासरई में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 लेखबद्ध करायी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्व ारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक 13.09.2022 को अभियुक्तगण ने उसके घर में उस पर हमला करने के उद्देश्य से प्रवेश किया था। साक्षी को उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 का बी से बी एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 03 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को देने से इंकार किया।

**07**— अभियोजन साक्षी लखनलाल अ.सा.02 ने अपने कथन में फरियादी प्रेमलाल अ.सा.01 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के घर में प्रवेश करने से इंकार किया है। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी 04 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को देने से इंकार किया।

**08**— इस प्रकार स्वयं फरियादी प्रेमलाल अ.सा.01 एवं आहत लखनलाल अ.सा.02 ने उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कथन न्यायालय में नहीं दिया है तथा उक्त तथ्य के संबंध में फरियादी प्रेमलाल अ.सा. 01 ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में उल्लेखित तथ्यों की संपुष्टि भी नहीं की है। फरियादी प्रेमलाल अ.सा.01 एवं आहत लखनलाल अ.सा. 02 ने अपने कथन में अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक 13.09.2022 को उसके घर में उन पर हमला करने के उद्देश्य से प्रवेश करने से स्पष्ट इंकार किया है फरियादी प्रेमलाल अ.सा.01 एवं आहत लखनलाल अ.सा.02 ने अभियोजन कहानी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में किसी अन्य साक्षी की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं कराई गई है। प्रकरण में विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

**09**— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की समग्र विवेचना एवं प्रकरण की संपूर्ण

परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **विफल** रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 13.09.2022 को समय करीब 17:00 बजे से 17:30 बजे के बीच अवरोध कारित करने अथवा उपहति, हमले, सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी कर फरियादी के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। **परिणामतः अभियुक्त क.01 रामूलाल चौहान पिता भगतराम चौहान, कमांक 02 महर सिंह उर्फ पुट्टू पट्टा पिता हीरासिंह पट्टा, कमांक 03 शोभाराम यादव पिता कुवोर लाल यादव को संदेह का लाभ देते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।**

**10**— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके (धारा 437 क द.प्र.सं छोड़कर) भारमुक्त किये जाते हैं।

**11**— अभियुक्तगण का धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

**12**— प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति जमा/जप्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

**(मोहसिना खान)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,**
**डिण्डौरी म0प्र0**

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

**(मोहसिना खान)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,**
**डिण्डौरी म0प्र0**

MOHSINA KHAN
Digitally signed by MOHSINA KHAN
Date: 2024.05.06 19:35:31 +0530